## न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

(34)

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक निग. 3116-दो/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 24.06.2014 पारित द्वारा तहसीलदार, परगना राघौगढ, जिला गुना प्रकरण क्रमांक 33/अ-2/12-13.

---

1. गोकुल पुत्र बाबूलाल साहू(तेली)
2. देवेश पुत्र बाबूलाल साहू(तेली)

निवासीगण राघौगढ, जिला गुना .....आवेदकगण

विरूद्ध

1. बाबूलाल साहू पुत्र राजाराम साहू,
   निवासी महात्मागांधी मार्ग, राघौगढ, जिला गुना
2. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर, गुना मध्यप्रदेश .....अनावेदकगण

---

श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक, आवेदकगण

श्री अशोक भार्गव, अभिभाषक, अनावेदकगण

---

**:: आ दे श ::**

**(आज दिनांक 4/10/18 को पारित)**

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, राघौगढ, जिला गुना द्वारा पारित दिनांक 24.06.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक क्र. 1 द्वारा भूमि सर्वे क्र. 183 रकबा 0.324 हैक्टेयर स्थित ग्राम पाडरखेडी तहसील राघौगढ, जिला गुना के सीमांकन हेतु एक आवेदन पत्र नायब तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसके साथ सीमांकन रिपोर्ट दिनांक

21.06.2014 भी प्रस्तुत की गई। नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्र. 33/अ-2/12-13 दर्ज कर सीमांकन कार्यवाही प्रारंभ की गई। नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 24.06.2014 को उक्त सीमांकन रिपोर्ट स्वीकार कर सीमांकन आदेश पारित किया गया। नायब तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) नायब तहसीलदार द्वारा प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 26.06.2014 कथित सीमांकन रिपोर्ट दिनांक 21.06.2014 एवं उससे संबंधित संपूर्ण सीमांकन कार्यवाही की वैधता एवं सत्यता की जांच किये बिना पारित किया गया है, जो विधिक उपबंधों के प्रतिकूल होकर, विधि विरूद्ध एवं क्षेत्राधिकारितातीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

(2) प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन आवेदकगण को तथा मेडिया कृषकों को सूचना दिये बिना तथा समीपस्थ, सीमावर्ती भूमियों का सीमांकन किये बिना किया गया है, परिणामस्वरूप उक्त सीमांकन कार्यवाही त्रुटिपूर्ण एवं विधि विरूद्ध होकर निरस्त किये जाने योग्य है।

(3) नायब तहसीलदार द्वारा इस तथ्य की उपेक्षा की गई है कि पूर्व में आवेदकगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की उक्त भूमि सर्वेक्र. 182/1 रकबा 0.146 एवं 182/2 रकबा 0.147 हैक्टेयर के सीमांकन हेतु प्रस्तुत आवेदन पर दर्ज प्रकरण क्र. 9/अ-12/08-09 में पारित आदेश के पालन में संबंधित राजस्व निरीक्षक एवं मौजा पटवारी द्वारा हितबद्ध पक्षों को सूचना देने पश्चात् दिनांक 26.06.2009 को उक्त भूमि का सीमांकन कर, चतुर्थ सीमायें आवेदकगण को समझाकर उक्त भूमि का कब्जा उन्हें सौंपा था तथा तभी से आवेदकगण उक्त भूमि पर काबिज होकर कृषि कार्य कर रहे हैं। अनावेदक क्र.1 द्वारा आवेदकगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि पर कब्जा करने के दुराशय से प्रश्नाधीन सीमांकन कार्यवाही राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी के साथ मिलकर सम्पन्न कराई है, जो विधि विरूद्ध होकर निरस्ती योग्य है।

(4) नायब तहसीलदार द्वारा पारित प्रश्नाधीन आदेश मात्र प्रारूपिक स्वरूप का है, जो बोलते हुए आदेश की परिधि में नहीं आता। उक्त प्रश्नाधीन सीमांकन रिपोर्ट दिनांक 21.06.2014 मिथ्या तथ्य वर्णित किया गया है कि आवेदकगण ने एवं मेडिया कृषक अयोध्याबाई ने सूचना पत्र पर हस्ताक्षर करने से मना किया, जबकि वास्तविकता अनुसार आवेदकगण को

कोई सूचना नहीं दी गई नही उन्होंने कभी किसी सूचना पत्र पर हस्ताक्षर करने से मना किया। ऐसी स्थिति में नायब तहसीलदार का दायित्व था कि उक्त सीमांकन रिपोर्ट की प्रति आवेदकगण को दिलाई जाकर उसके संबंध में आवेदकगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाता एवं सीमांकन प्र. क्र. 9/अ-12/08-09 में प्रस्तुत सीमांकन रिपोर्ट के प्रतिकूल वर्तमान सीमांकन रिपोर्ट में दर्शित निष्कर्ष के संदर्भ में भी जांच की जाती, परंतु नायब तहसीलदार द्वारा इस तथ्य की उपेक्षा की गई तथा विधिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। फलत: प्रश्नाधीन आदेश एवं सीमांकन कार्यवाही संहिता की धारा 129 संबंधित नियमों के प्रतिकूल होकर निरस्ती योग्य है।

अत: उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार द्वारा विधिसंगत आदेश पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। अत: उनके द्वारा निगरानी निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। सीमांकन के अवलोकन से स्पष्ट है कि सीमांकन केवल दो मुस्तकिल बिंदुओं में किया गया है, जबकि तीन मुस्तकिल बिंदुओं में करना चाहिए था। आवेदक ने उसके द्वारा वर्ष 2009 का सीमांकन भी प्रस्तुत किया है। उस समय लगाये मुड़ढियों को इस सीमांकन में देखा गया या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है। अत: दोबारा सभी पक्षों की उपस्थिति में सीमांकन किया जाना यथोचित होगा।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर नायब तहसीलदार, राघौगढ, जिला गुना द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.06.2014 निरस्त किया जाता है। उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण तहसीलदार की ओर इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह सभी पक्षों की उपस्थिति में सीमांकन कर प्रकरण का निराकरण करे।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर